

कार्यालय प्राचार्या, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय

चतुर्थ तल, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन परिसर, कवांदूर जिला- दुर्ग (छ.ग.)
फोन नं. 0788-2960077 ई-मेल: govconnur184@gmail.com

क्रमांक / 869 / शा.न.म. / क्रय / 2024

दुर्ग, दिनांक 07/08 / 2024

प्रति,


संचालक
जनसंपर्क कार्यालय
रायपुर छ0ग0

विषय :- विज्ञापन प्रकाशन बाबत ।

विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग के नर्सिंग छात्राओं के उपयोगार्थ 250 सीटर छात्रावास किराए पर लिए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया किया जाना है । समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन का नमूना, नियम शर्तें सहित संलग्न है ।

अनुरोध है कि कृपया 02 स्थानीय स्तर के और 02 राज्य स्तर के समाचार पत्रों में यथाशीघ्र 03 दिवसों के भीतर प्रकाशित करने की कृपा करेंगे ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।


प्राचार्या
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय
दुर्ग, छ.ग.


विज्ञापन का प्रारूप

छात्रावास भवन हेतु

क.	कक्ष का विवरण	क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
1	डबल/सिंगल बेड रूम	24000 वर्गफीट
2	टायलेट सुविधाएं	1 बाथरूम एवं 1 टायलेट प्रति 5 छात्रा - 500 वर्गफीट
3	अतिथि कक्ष	500 वर्गफीट (टायलेट सुविधा सहित)
4	अध्ययन कक्ष	250 वर्गफीट
5	भंडार कक्ष	500 वर्गफीट
6	सामान्य कक्ष	500 वर्गफीट
7	भोजन कक्ष	3000 वर्गफीट
8	किचन एवं स्टोर	1500 वर्गफीट
	कुल	30750 वर्गफीट

टीप:- नियम-शर्त:-

1. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित किराया/भवन स्वामी द्वारा दिए गए किराया दरों की विवेचना कर, महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समिति द्वारा दर निर्धारण किया जावेगा ।
2. उपरोक्त अधोसंचना मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।
3. ईच्छुक भवन स्वामी अपना प्रस्ताव तथा भवन से संबंधित दस्तावेज बंद लिफाफे में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कचांदूर जिला दुर्ग के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 18.07.2024 तक समय 3.00 अपरान्ह तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । (लिफाफे के उपर छात्रावास किराए के भवन हेतु निविदा अंकित कराना आवश्यक है ।)
4. प्राप्त निविदा दिनांक 18.07.2024 को दोपहर समय 4.00 अपरान्ह पर महाविद्यालय की समिति द्वारा खोला जाएगा ।
5. प्रस्तावित भवन में बिजली-पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
6. निर्धारित क्षेत्रफल स्वरूप में भवन प्राप्त न होने की दशा में निरीक्षण समिति मापदंड में आंशिक परिवर्तन के साथ अनुशंसा कर सकेगी ।
7. भवन स्वामी प्रस्ताव के साथ भवन स्वामित्व संबंधी संपूर्ण दस्तावेज की स्व-प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।
8. भवन चयन हेतु महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण समिति का गठन किया जावेगा ।
9. निरीक्षण समिति का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।



10. विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
11. वैध पेन नंबर एवं जी.एस.टी. नंबर देना अनिवार्य होगा ।
12. भवन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय चतुर्थ तल, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन परिसर, कचांदूर जिला- दुर्ग (छ.ग.) से लगभग 5 कि०मी० दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए ।
13. निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्थाप्रमुख अपने पास सुरक्षित रखता है ।



प्राचार्या
शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय
दुर्ग, छ.ग.

